• आबकारी विभाग पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यः–

मानव इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक ऋगवेद में सोम रस के उल्लेख से आबकारी का मानव सभ्यता से अतीतकाल से ही सम्बन्ध जुड जाता है और कालान्तर में मादक पदार्थों के मानव शरीर में पडने वाले कुप्रभाव को रोकने के लिए समय–समय पर इस प्रकार के मादक पेयों के क्रय विक्रय पर नियंत्रण का प्रयास विभिन्न कालों में किया जाता रहा है। इसी के तहत वर्ष 1910 में संयुक्त प्रान्त में मादक शराब तथा मादक भेषजों के आयात–निर्यात, परिवहन, निर्माण, विक्रय तथा उसे कब्जे में रखने के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम– 1910 लागू किया गया। इस अधिनियम को लेफ्टीनेन्ट गर्वनर द्वारा 18 दिसम्बर, 1909 तथा गर्वनर जरनल द्वारा 24 फरवरी, 1910 को स्वीकृति प्रदान की गयी और इसे इन्डियन काउन्सिल एक्ट 1860 की धारा 40 के अन्तर्गत 12 जून 1910 को प्रकाशित किया गया।

उक्त अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निरूपित सिद्वान्त के अनुरूप ही आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधियॉ उपयोग के निषेध का उन्नीयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये। राजस्व अर्जन के साथ–साथ विभाग द्वारा शीरा एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के नीति निर्धारण एवं नियंत्रण से प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जाता है।

उत्तराखण्ड में मदिरा व्यवसाय पर बडे ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करने एवं नये उद्यमियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश करने के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ताओं को मदिरा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 में नयी आबकारी नीति लागू की गयी। इस नयी नीति द्वारा पूर्व में चली आ रही ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इसी नीति में गुणात्मक सुधार के साथ ही वर्ष 2012–13 की आबकारी नीति दिनांक 16.05.2012 से प्रभावी हो चुकी है। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों को अधिक लाभ दिये जाने का प्रयास किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा अपने स्वरूप की सीमाओं के भीतर रहते हुये गत वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित लक्ष्य रू0 727.67 करोड़ के सापेक्ष रू0 843.57 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आबकारी विभाग को 942.00 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष में मार्च तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है।